01/2017 – अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान)

**न्यायालय : विवाह अधिकारी एंव अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।**

पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

**विवाह प्रार्थना पत्र सं0 01/2017**

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) * श्रीगंगानगर (राज.)

**प्रार्थना पत्र अ० विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीयन कराये जाने बाबत पक्षकार श्री कर्मपालसिंह एवं श्रीमती सुमनरानी**

**आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक : 01–03–2017**

विवाह के पक्षकार श्री कर्मपालसिंह एवं श्रीमती सुमनरानी ने संयुक्त रूप से जरिये अधिवक्ता श्री भारतभूषण नागपाल – विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 13–02–17 को प्रस्तुत कर विवाह पंजीयन कराने का निवेदन किया है।

आवेदन पत्र के साथ प्रार्थीगण ने स्वंय के हल्फनामे एवं तीन अन्य गवाहन के शपथ पत्र पेश किये हैं। प्रार्थना पत्र के साथ अन्य आवश्यक दस्तावेजात की फोटो प्रतियॉ पेश की गई है।

प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के प्रावधानों का गहनता से अवलोकन किया गया।

**विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 15(च) के अनुसार पक्षकार उस विवाह अधिकारी के जिले के भीतर उस तारीख के ठीक पहले, जब विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन विवाह अधिकारी से किया गया हो, कम से कम तीस दिन की कालावधि तक निवास करते रहें हों।**

हस्तगत आवेदन पत्र दिनांक 13–2–17 को विवाह के पक्षकारों द्वारा सुयंक्त रूप से प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्रों में विवाह दिनांक 19–1–17 को होना अंकित किया है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 13–2–17 से ठीक तीस दिवस पूर्व अथवा विवाह दिनांक 19–1–17 के बाद से श्री गंगानगर जिले में निवास करने के संबंध में कोई दस्तावेजी सारवान साक्ष्य पेश नहीं की गई है। विवाह के पक्षकारों द्वारा अपने–2 शपथ पत्रों में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि विवाह के पश्चात् हम बतौर पति–पत्नी एक साथ जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ (राजस्थान) में रह रहे हैं। उक्त शपथ पत्रों में विवाह के पक्षकारों द्वारा किये गये कथनों की पुष्टि तीन साक्षिगणों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों में भी की गई है। अतः ऐसी स्थिति में, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 15(च) की पालना न होने के कारण विवाह पंजीयन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13–2–17 अस्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 15(च) के उल्लघंन में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 13–2–17 निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 01–03–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[signature]

(करतारसिंह पूनियॉ)

विवाह अधिकारी एवं

अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)

श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner